

कार्यालय निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा पण्डोड़

आदेश क्रमांक 23/62-2000 वि 1131

दिनांक 8.3.2000

पुलिस डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल अम्बाला शहर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10 वीं स्तर की सहायता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विधायक सम्य सम्य पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों को पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो खंड वहीमें वह विधायक को मान्य होंगी।

विभागीय हिदायतों को पालना न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

प्रधान महोदय

निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा

पुण्डोड़ कांक सम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भेजी जाती है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाला को उनके पाटी क्रमांक जी-2/99/4034 दिनांक 24-12-99 के तदर्थ में।
- 2 प्राचार्य पुलिस डी ए वी पब्लिक स्कूल अम्बाला शहर।
- 3 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा केंद्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार नई दिल्ली 110092.

सहायक निदेशक विभाग-1

कृते निदेशक सहायक शिक्षा हरियाणा पण्डोड़

PRINCIPAL
POLICE D.A.V. PUBLIC SCHOOL
AMBALA CITY.